राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी
20/198, कावेरी पथ, सैक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर।
फोन नं.– 0141-2399335, 2399336, ई–मेल – dcr.raj@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ 23(1)(1) फोस्टर केयर/बा.अ.वि./2012/ 80604 जयपुर, दिनांकः 19-11-2020

आदेश

विषयः– वात्सल्य योजना – राजस्थान पालन–पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) दिशा–निर्देश, 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 44(7) एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 23(14) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार पालन–पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार **"वात्सल्य योजना – राजस्थान पालन–पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) दिशा–निर्देश, 2020"** लागू करती हैः–

1. <u>पालन–पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) कार्यक्रम की आवश्यकता एवं उद्देश्य</u> ::

(अ) संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों को वैकल्पिक देखरेख उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2009 में लागू किए गए दिशा–निर्देश में परिवार हर बच्चे के अधिकार है, के सिद्वांत पर विभिन्न वैकल्पिक देखरेख कार्यक्रम (दत्तक ग्रहण/फोस्टर केयर/किनशिप केयर/स्पोंसरशिप कार्यक्रम/आफ्टर केयर) शुरू करने पर जोर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन 1989 में भी बच्चों को परिवार के माध्यम से लालन–पालन, प्यार एवं स्नेह आधारित देखरेख सुनिश्चित करने की बात कही गई है। राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 भी यह मानती है कि सभी बच्चों को पारिवारिक माहौल में विकास, हंसी खुशी के वातावरण में प्यार और समझ का अधिकार है।

(ब) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 44 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 23 के तहत पालन–पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) कार्यक्रम संचालित किया जाना है। समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत भी पालन–पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) को लागू करने के संबंध में आवश्यक उपबंध किये गये है।

(स) राज्य में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम (अनाथ/समर्पित/परित्यक्त) तथा पालनहार योजना (स्पोंसरशिप/किनशिप कार्यक्रम) संचालित किया जा रहा है, जबकि उक्त दोनों ही श्रेणी में आने वाले बच्चों के अतिरिक्त भी कई ऐसे बच्चे है, जिन्हें पारिवारिक देखरेख की आवश्यकता है।

(द) पालन–पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) कार्यक्रम का उद्देश्य पारिवारिक देखरेख से वंचित अथवा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले ऐसे बच्चे, जिन्हें पालन पोषण देखरेख या सामूहिक पालन पोषण देखरेख में रखा जा सकता है, के कल्याण को संरक्षित करना हैं। पालन–पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) दिशा–निर्देश के लागू होने उपरान्त बच्चों की परिवार की आवश्यकताओं, स्नेह, देखरेख, स्वास्थ्य एवं अपनत्व की पूर्ति परिवार के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकेगी।

Scanned with CamScanner

लाभान्वित श्रेणी ::

पालन–पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) कार्यक्रम के तहत् 0–18 वर्ष के निम्न श्रेणी के बच्चों को लाभान्वित किया जायेगा–

(अ) नियम 44 के अंतर्गत वर्णित ऐसे बच्चे जिनका बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने के पश्चात भी दत्तक ग्रहण नहीं हुआ है।

(ब) ऐसे 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के ऐसे बच्चे जो अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित नहीं हैं अथवा बाल देखरेख संस्थान में आवासरत ऐसे बच्चे, जिन्हें किन्हीं कारणों से दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित नहीं किया जा सकता है।

(स) जिला बाल संरक्षण इकाई/बाल कल्याण समिति द्वारा चिन्हित या उनके समक्ष प्रस्तुत ऐसे बच्चे–

I. ऐसे बच्चे जिनकी परित्यक्त माता मानसिक रूप से बीमार अथवा विशेष योग्यजन महिला है तथा मनोचिकित्सा केन्द्र में उपचाराधीन है या महिला सदन/नारी निकेतन में आवासरत है एवं वह अपने बच्चों की देखरेख के लिए असमर्थ है।
II. ऐसे माता/पिता जो एच.आई.वी. एड्स/कुष्ठ रोग/थैलेसीमिया से ग्रसित होने के कारण शारीरिक एवं आर्थिक रूप से बच्चे के देखरेख में अक्षम है या उनकी मृत्यु हो चुकी है अथवा ऐसे बच्चे जो स्वयं उपरोक्त बीमारी से ग्रसित है तथा उनकी परिवार/निकट रिश्तेदारी में देखरेख करने वाला कोई नहीं है या ऐसे बच्चे बाल देखरेख संस्थान में आवासरत है।
III. ऐसे बच्चे जो परिवार में घरेलू हिंसा से पीड़ित/प्रभावित है या किन्हीं पारिवारिक स्थितियों के कारण परिवार में परवरिश संभव नहीं हैं।
IV. ऐसे बच्चे जिनके माता/पिता कारागृह में विचाराधीन बंदी या सजायाफ्ता है तथा उनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है।
V. ऐसे बच्चे जो अधिनियम की धारा 2(14) में परिभाषित देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे की श्रेणी में आते हैं।

3. पोषक माता/पिता हेतु चयन के मापदंड ::

अ. अधिनियम की धारा 44(2) के अनुसार पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले पोषक माता/पिता अथवा परिवार का चयन उनकी योग्यता, आशय, क्षमता एवं बच्चों की देखरेख करने के पूर्व अनुभव के आधार पर किया जायेगा–

I. कोई भी भारतीय नागरिक जो विगत 2 वर्ष से राजस्थान में निवासरत हो।
II. कोई भी दम्पति के मध्य न्यूनतम 2 वर्ष का स्थाई वैवाहिक सम्बन्ध होना चाहिए।
III. भावी पोषक माता/पिता आयकरदाता होने चाहिए।
IV. भावी पोषक माता/पिता की अधिकतम संयुक्त आयु 120 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। एकल व्यक्ति (महिला या पुरूष) की स्थिति में न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
V. एकल पुरूष को किसी बालिका को पालन पोषण देखरेख में लेने के पात्र नहीं होगें।

Scanned with CamScanner

VI. भावी पोषक माता/पिता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।

VII. भावी पोषक माता/पिता द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आयु संबंधी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयकर रिर्टन की प्रति, चिकित्सीय प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट एवं दो प्रतिष्ठित व्यक्तिओं की गवाही प्रस्तुत करेंगे।

ब. सामूहिक पालन पोषण देखरेख हेतु उपयुक्त सुविधा के चयन हेतु मानदंड़– जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सामूहिक पालन पोषण देखरेख हेतु उपयुक्त सुविधा का चयन राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 37619 दिनांक 11.03.2019 से जारी दिशा–निर्देश के आधार पर किया जायेगा।

4. <u>पालन–पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) से बच्चों को जोड़ने में जिला बाल संरक्षण इकाई की भूमिका</u> ::

अ. पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले परिवार (पोषक माता/पिता) –

1. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ऐसे परिवारों/व्यक्तियों की पहचान की जायेगी, जो बच्चे के पालन पोषण देखरेख करने के इच्छुक हैं। इस प्रयोजन के लिए इकाई द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में भी समय–समय पर विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किये जायेगें। पालन पोषण प्रदान करने वाले परिवार द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।
2. जिला बाल संरक्षण इकाई अधिकृत स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से भी ऐसे परिवारों/व्यक्तियों की पहचान करेगी, जो बच्चे के पालन पोषण देखरेख करने के लिये इच्छुक हैं।
3. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा भावी पालन पोषण करने वाले परिवार का प्रारूप 30 में गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
4. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा इन दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 3(अ) में वर्णित मानदंडो के आधार पर परिवार का चयन किया जायेगा। पालन पोषण प्रदान करने वाले परिवार के साथ साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा, जो कि भावी पालन पोषण प्रदान करने वाले परिवार के मूल्यांकन में सहायक होगा।
5. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा भावी पोषक माता/पिता को पालन–पोषण देखरेख कार्यक्रम एवं इसकी निर्धारित प्रक्रियाओं से अवगत कराने के साथ–साथ आवश्यक काउंसलिंग उपलब्ध कराई जायेगी।
6. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा भावी पालन पोषण प्रदान करने वाले परिवारों का पैनल तैयार कर इसे संबंधित बाल कल्याण समिति को प्रेषित किया जायेगा ताकि समिति पालन पोषण देखरेख में बच्चों के स्थापन हेतु अग्रिम कार्यवाही संपादित कर सके।
7. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा समुदाय में माता–पिता की सहायता के बिना जीवन यापन करने वाले पालन पोषण देखरेख के पात्र बच्चों की सूची तैयार कर उनकी परिस्थितियों का पता लगाया जायेगा तथा उनकी आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जायेगा। ऐसे बच्चों का प्रारूप 31 में बाल अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर पालन पोषण देखरेख में स्थापन हेतु चयन किया जायेगा। ऐसे बच्चों का विस्तृत विवरण संबंधित बाल कल्याण समिति को अग्रेषित किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

8. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा जिले में संचालित विभिन्न श्रेणी के राजकीय/गैर राजकीय बाल देखरेख संस्थानों में आवासरत लाभान्वित श्रेणी के बच्चे, जिनमें से कोई बच्चा पालन–पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) में दिए जाने हेतु उपयुक्त है, का संबंधित बाल देखरेख संस्थान के माध्यम से प्रारूप 43 में इतिवृत्त एवं प्रारूप 07 में व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार किया जाना सुनिश्चित करेगी।
9. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन–पोषण देखरेख में दिए जाने योग्य बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध होना सुनिश्चित करेगी। ऐसे बच्चे जो बाल देखरेख संस्थान में आवासरत है उनके जन्म प्रमाण पत्र तैयार करवाये जायेंगे।
10. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बाल देखरेख संस्थानों में पालन–पोषण देखरेख में दिये जाने के पात्र बच्चों की सूची संबंधित बाल कल्याण समिति को अनुमोदन हेतु प्रेषित की जायेगी।
11. भावी पोष्य बच्चे के भाई–बहन एवं जुड़वा को एक ही परिवार में पालन पोषण देखरेख या सामूहिक पालन पोषण देखरेख में दिया जायेगा, ऐसे मामलों में परिवार एवं सामूहिक पालन पोषण देखरेख हेतु उपयुक्त सुविधा में रखे जाने वाले बच्चों की संख्या की सीमा में छूट दी जा सकेगी।
12. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संबंधित बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे को पालन–पोषण देखरेख में योग्य माने जाने एवं भावी पोषक माता/पिता के मूल्यांकन की स्वीकृति उपरान्त उनका बच्चों के साथ रैफरल कराया जायेगा। प्रत्येक भावी पोषक माता/पिता को अधिकतम 3 बार रैफरल कराया जायेगा, इसके उपरान्त वह इस कार्यक्रम से नहीं जुड पायेगें।
13. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा समिति के अंतरिम आदेश के पश्चात पालन पोषण करने वाले परिवार के साथ बच्चे अनुकूलता का मूल्यांकन कर मूल्यांकन रिपोर्ट मय पालन पोषण करने वाले परिवार को वित्तीय सहायता की आवश्यकता है या नहीं, के संबंध में अधिकतम 07 दिनों के भीतर बाल कल्याण समिति को अवगत कराया जायेगा।
14. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण करने वाले परिवार की गृह अध्ययन रिपोर्ट एवं बच्चे की बाल अध्ययन रिपोर्ट तथा रैफरल रिपोर्ट के आधार पर भावी पालन पोषण करने वाले परिवार के साथ बच्चे के स्थापन करने की अनुशंषा संबंधित बाल कल्याण समिति को प्रेषित की जायेगी।
15. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संबंधित बाल कल्याण समिति के बच्चे को पालन–पोषण देखरेख में दिए जाने के संबंध में पारित आदेश उपरांत परिवार को बच्चे की अभिरक्षा दिया जाना सुनिश्चित करेगी।
16. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पोषक माता/पिता को पोष्य बच्चे के दत्तक ग्रहण करने के संबंध में अधिनियम एवं दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 में वर्णित प्रावधान से अवगत कराया जायेगा।
17. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रत्येक पालन–पोषण देखरेख में दिए गए बच्चे की पत्रावली संधारित की जायेगी, जिसमें संबंधित दस्तावेज मय पर्यवेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होगी।

ब. सामूहिक पालन पोषण देखरेख के लिये उपयुक्त सुविधा के चयन हेतु मानदंड़–

1. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा इन दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 3(ब) में वर्णित मानदंडो के आधार पर बच्चों को रखने हेतु इच्छुक उपयुक्त सुविधा की पहचान की जायेगी।

Scanned with CamScanner

2. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा उपयुक्त सुविधा का संचालन करने वाले संगठन के पदाधिकारियों एवं सामूहिक पालन पोषण देखरेख में देखरेख प्रदानकर्ताओं का साक्षात्कार किया जायेगा तथा उपयुक्त सुविधा में उपलब्ध सुविधाओं एवं देखरेख प्रदानकर्ताओं का मूल्यांकन किया जायेगा।
3. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सामूहिक पालन पोषण देखरेख के संचालित उपयुक्त सुविधा द्वारा संदर्भ हेतु उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार समुदाय के सम्मानित 2 व्यक्तियों से पुष्टि की जायेगी।
4. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता, बाल सुरक्षा नीति, देखरेख प्रदानकर्ताओं की चिकित्सा रिपोर्ट, पुलिस सत्यापन इत्यादि का प्रति–परीक्षण किया जायेगा।
5. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बाल कल्याण समिति को अग्रेषित करने से पूर्व उपयुक्त सुविधा के मुख्य देखरेख प्रदानकर्ता को संबंधित विषय (जैसे पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे, बच्चे की संभावित पृष्ठभूमि, सामूहिक पालन पोषण देखरेख क्या है तथा पालन पोषण प्रदान करने वाले उपयुक्त सुविधा से अपेक्षाएं) से आमुखीकरण कराया जायेगा।
6. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा उपयुक्त सुविधा के निरीक्षण, बच्चे की बाल अध्ययन रिपोर्ट तथा उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ताओं के साथ बच्चे की अनुकूलता के आधार पर सामूहिक पालन पोषण देखरेख में बच्चे स्थापन करने की अनुशंषा संबंधित बाल कल्याण समिति को प्रेषित की जायेगी।

5. पालन–पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) से बच्चों को जोड़ने में बाल कल्याण समिति की भूमिका ::

1. बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे की पालन पोषण देखरेख या उपयुक्त सुविधा में सामूहिक पालन पोषण देखरेख में स्थापन की उपयुक्तता का निर्धारण पूर्व में बच्चे के किये गये पालन पोषण, बच्चे के सर्वोत्तम हित एवं बच्चे की प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। उक्त निर्णय के दौरान समिति निम्नलिखित कारकों को भी ध्यान में रखा जायेगा–

   I. बच्चे के कटु अनुभव का स्तर
   II. मादक पदार्थो की लत
   III. विकलांगता का स्तर एवं प्रकार
   IV. सामाजिक व्यवहार
   V. किसी भी विशेष देखरेख की आवश्यकता (असाध्य बीमारी इत्यादि)
   VI. बच्चें को संस्थागत देखरेख से विस्थापित करने की आवश्यकता
   VII. सुविधाओं की उपलब्धता
   VIII. प्रवासी (घुमंतु) परिवारों के बच्चे (मौसमी प्रवासन)
   IX. भाई–बहन का बाल देखरेख संस्थान में होना
   X. मामले के अनुसार बच्चे या माता–पिता/अभिभावक की पसंद या सहमति
   XI. वैकल्पिक उपलब्धता/विकल्प की उपयुक्ता।

Scanned with CamScanner

(अ) पालन पोषण करने वाले परिवार के साथ बच्चे का स्थापन–

1. जिला बाल संरक्षण इकाई से पालन–पोषण देखरेख हेतु चिन्हित बच्चों को उनके इतिवृत्त, व्यक्तिगत देखरेख योजना एवं गृह अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर बाल कल्याण समिति द्वारा अनुमोदन किया जायेगा तथा इसकी सूचना जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित की जायेगी।
2. समिति पालन पोषण करने वाले परिवार को बच्चे के पालन–पोषण देखरेख में दिए जाने के संबंध में परिवार के मूल्यांकन को स्वीकृत कर अनुमोदित लाभान्वित श्रेणी के बच्चों में से परिवार से रैफरल कराने हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई को निर्देशित किया जायेगा।
3. यदि बच्चे के जैविक माता/पिता उपलब्ध हैं एवं बच्चे को पालन–पोषण देखरेख में देने के संबंध में अपनी टिप्पणी/राय देने हेतु सक्षम है, तो समिति उनकी टिप्पणी/राय प्राप्त करने का प्रयास करेगी।
4. यदि भावी पोष्य बच्चा 7 वर्ष से अधिक आयु का है, तो समिति इस संबंध में उसकी राय दर्ज कर अग्रिम निर्णय लेगी।
5. समिति बच्चे के पालन पोषण देखरेख में स्थापन के समय ऐसे परिवार को प्राथमिकता देगी, जो बच्चे से सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, धार्मिक वातावरण से संबंध रखते हैं। बच्चे की आवश्यकताओं के अनुरूप पालन पोषण देखरेख की अवधि अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक हो सकेगी।
6. समिति भावी पालन पोषण करने वाले परिवार के साथ एक बच्चे के रैफरल के पश्चात अंतरिम आदेश के माध्यम से बच्चे एवं पालन पोषण करने वाले परिवार को 15 दिन की अवधि के लिए बैठक करने की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात बच्चे द्वारा पालन पोषण करने वाले परिवार की घर की विजिट कराई जायेगी तथा परिवार के अन्य सदस्यों से मिलवाया जायेगा।
7. समिति बच्चे को संस्थागत देखरेख से परिवार में ले जाने के कारण हुये वातावरण परिवर्तन के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक काउंसलिंग परामर्श की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।
8. समिति द्वारा भावी पोष्य बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप उसकी अभिरक्षा की समयावधि निर्धारित करेगी, जिसमें प्रारंभिक तौर पर अधिकतम अवधि 1 वर्ष होगी, जिसे बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बढाया जा सकेगा जोकि बच्चे के 18 वर्ष के होने तक हो सकती है।
9. समिति द्वारा भावी पोषक माता/पिता को बच्चे के पालन–पोषण देखरेख के लिए प्रारूप 32 में स्थापन आदेश पारित किया जायेगा तथा उक्त आदेश की प्रति संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित की जायेगी।
10. समिति द्वारा भावी पोषक माता/पिता से पोष्य बच्चे की अभिरक्षा लेने से पूर्व प्रारूप 33 में बच्चे की पालन पोषण देखरेख करने हेतु बंधपत्र लिया जायेगा।
11. नवजात बच्चे जिनकी परित्यक्त माता मानसिक रूप से बीमार अथवा विशेष योग्यजन महिला है तथा वह बच्चे की देखरेख के लिए असमर्थ है, के संबंध में महिला की चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर समिति निर्णय लेगी।
12. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का पारिवारिक पालन पोषण देखरेख में स्थापन का निर्धारण पालन पोषण उपलब्ध कराने वाले परिवार की बच्चे का प्रबंधन करने की क्षमता के आधार पर किया जायेगा।
13. यदि भावी पोष्य बच्चा किसी नजदीकी रिश्तेदार या अन्य कोई जानकार व्यक्ति के साथ रहना चाहता है, तो समिति स्वयं के स्तर पर अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से उस व्यक्ति को पोषक माता/पिता बनने के लिए प्रेरित करेगी।

Scanned with CamScanner

14. समिति इस कार्यक्रम के तहत एक पोषक माता/पिता को अधिकतम 2 पोष्य बच्चे (भाई–बहन की स्थिति के अतिरिक्त) दे सकेगी। पालन पोषण देखरेख करने वाले परिवार में जैविक बच्चों सहित बच्चों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
15. समिति को यदि पोष्य बच्चे के पोषक परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है या समिति द्वारा यह महसूस किया जाता है कि पोषक माता/पिता बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं या उसके साथ परिवार में दुर्व्यवहार हो रहा तो वह बच्चे की अभिरक्षा वापस ले सकेगी।
16. परिवार में पोष्य बच्चे के साथ दुर्व्यवहार/हिंसा के मामले के समिति के संज्ञान में आने पर समिति द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायेगी।
17. यदि पोष्य बच्चा अपने पोषक माता/पिता को बदलना चाहता है, तो समिति इस संबंध में आवश्यक जांच उपरांत अग्रिम निर्णय लेगी।
18. पालन–पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) कार्यक्रम में पोष्य बच्चे एवं पोषक माता/पिता के संबंध में बाल कल्याण समिति द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम माना जायेगा।

(ब) सामूहिक पालन पोषण देखरेख के तहत् उपयुक्त सुविधा में बच्चे का स्थापन–

1. बाल कल्याण समिति द्वारा उपयुक्त सुविधा के भावी देखरेख प्रदानकर्ता के साथ बच्चे के रैफरल के पश्चात अंतरिम आदेश के माध्यम से बच्चे एवं देखरेख प्रदानकर्ता को 15 दिन की अवधि के लिए बैठक करने की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात बच्चे द्वारा उपयुक्त सुविधा की विजिट कराई जायेगी तथा बच्चों से मिलवाया जायेगा।
2. यदि भावी पोष्य बच्चा 7 वर्ष से अधिक आयु का है तो समिति इस संबंध में उसकी राय दर्ज कर अग्रिम निर्णय लेगी।
3. समिति बच्चे को संस्थागत देखरेख से उपयुक्त सुविधा में ले जाने के कारण हुये वातावरण परिवर्तन के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक काउंसलिंग (परामर्श) की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।
4. समिति द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई से प्राप्त अनुकूलता की रिपोर्ट की समीक्षा के पश्चात प्रारूप 32 में बच्चे के सामूहिक पालन पोषण देखरेख के तहत् उपयुक्त सुविधा में स्थापन हेतु अंतिम आदेश दिये जायेगें तथा इसकी प्रति इकाई को प्रेषित की जायेगी।
5. उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता द्वारा प्रारूप 33 में बच्चे की पालन पोषण देखरेख करने हेतु बंधपत्र पर हस्ताक्षर प्राप्त करेगी।
6. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सामूहिक पालन पोषण देखरेख में स्थापन का निर्धारण उपयुक्त सुविधा में ऐसे बच्चों हेतु आवश्यक सुविधा की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।
7. यदि भावी पोष्य बच्चे के भाई–बहन भी मौजूद हैं तो समिति उन्हें भी सामूहिक पालन पोषण देखरेख के तहत् उपयुक्त सुविधा में रखेगी।
8. समिति सामूहिक पालन पोषण देखरेख के तहत् उपयुक्त सुविधा में अधिकतम 8 पोष्य बच्चे (भाई–बहन की स्थिति के अतिरिक्त) दे सकेगी।
9. समिति को यदि पोष्य बच्चे के उपयुक्त सुविधा में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है या समिति द्वारा यह महसूस किया जाता है कि उपयुक्त सुविधा में सामूहिक पालन पोषण देखरेख में बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं या उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा तो वह बच्चे की अभिरक्षा वापस ले सकेगी।
10. परिवार में पोष्य बच्चे के साथ दुर्व्यवहार/हिंसा के मामले के समिति के संज्ञान में आने पर समिति द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायेगी।

Scanned with CamScanner

11. समिति द्वारा सामूहिक पालन पोषण देखरेख में लाभान्वित बच्चों/उपयुक्त सुविधा का विस्तृत विवरण हेतु पृथक–पृथक पत्रावली संधारित की जायेगी।

6. वित्तीय प्रावधान ::

1. भावी पोषक माता/पिता की वार्षिक आय राशि रूपये 2,50,000/– से कम होने पर उन्हें पोष्य बच्चे के बेहतर पालन–पोषण एवं निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा निर्धारित पालन–पोषण देखरेख भत्ता जारी किया जायेगा।
2. पालन पोषण करने वाले परिवार को वित्तीय सहायता के रूप में राशि रूपये 2,000/– प्रतिमाह प्रति बच्चा प्रदान किया जायेगा। यह वित्तीय सहायता समेकित बाल संरक्षण योजना के अतंर्गत निर्धारित मद में से उपलब्ध कराई जायेगी।
3. एक परिवार में अधिकतम 2 पोष्य बच्चों (भाई–बहन होने की परिस्थिति के अतिरिक्त) के लिये पालन–पोषण देखरेख भत्ता जारी किया जा सकेगा।
4. पालन–पोषण देखरेख भत्ता पोषक माता/पिता एवं पोष्य बच्चे के नाम से स्थापित संयुक्त बैंक बचत खाते के माध्यम से मासिक स्तर पर जारी किया जायेगा।
5. राज्य सरकार की पालनहार योजना के तहत् आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे बच्चों को पालन–पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) कार्यक्रम के तहत् पालन–पोषण देखरेख भत्ता प्रदान नहीं किया जायेगा।
6. सामूहिक पालन–पोषण देखरेख में रखे गये बच्चों के लिए भी उपयुक्त सुविधा को राशि रूपये 2,000/– प्रतिमाह प्रति बच्चा के आधार पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन–पोषण देखरेख भत्ता जारी किया जायेगा।
7. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन–पोषण देखरेख भत्ता बाल कल्याण समिति द्वारा निर्धारित पालन–पोषण देखरेख अवधि अथवा संबंधित बच्चे की 18 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक प्रदान किया जायेगा।
8. सामूहिक पालन पोषण देखरेख के तहत् उपयुक्त सुविधा को पालन–पोषण देखरेख भत्ता संबंधित स्वयंसेवी संस्था के नाम से स्थापित बैंक खाते के माध्यम से मासिक स्तर पर जारी किया जायेगा।
9. राज्य सरकार द्वारा सामूहिक पालन पोषण देखरेख में रखे गये बच्चों की बेहतर देखरेख के लिये उपयुक्त सुविधा को किशोर न्याय निधि के तहत् अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।

7. पालन पोषण देखरेख उपलब्ध कराने वाले परिवार/उपयुक्त सुविधा की जिम्मेदारियां ::

1. पालन पोषण देखरेख उपलब्ध कराने वाले परिवार द्वारा आदर्श नियमों के नियम 23(19) की आवश्यक रूप से पालना सुनिश्चित की जायेगी।
2. पोषक माता/पिता के निवास स्थान में परिवर्तन होने अथवा पोष्य बच्चे को शिक्षा व अन्य प्रयोजन के लिए राज्य/देश से बाहर लेकर जाना चाहते हैं, तो वह संबंधित बाल कल्याण समिति को लिखित में सूचित करेंगे।
3. पोषक माता/पिता पोष्य बच्चे को अपनी आय एवं चल–अचल संपत्ति में हक देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
4. सामूहिक पालन पोषण देखरेख के तहत् उपयुक्त सुविधा में आवास, भोजन, शिक्षा प्रदान करने एवं देखरेख के मानकों को बनाए रखने के अतिरिक्त उपयुक्त सुविधा द्वारा यथासंभव सामूहिक पालन पोषण देखरेख में 7 से 11 वर्ष एवं 12 से 18 वर्ष

Scanned with CamScanner

के आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग–अलग सुविधाएं संचालित की जायेगी।

5. पोषक माता/पिता अथवा उपयुक्त सुविधा द्वारा पोष्य बच्चे के गंभीर रोग से बीमार होने अथवा उसके गुम होने/पलायन (भाग जाने) करने अथवा उसके साथ दुर्व्यवहार होने अथवा बच्चे द्वारा किसी प्रकार का आपराधिक कृत्य अथवा स्वयं को हानि पहुंचाने वाला व्यवहार करने या उसकी मृत्यु होने की स्थिति में तत्काल संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति को अवगत करायेगा।
6. उपयुक्त सुविधा द्वारा बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने हेतु जीवन कौशल, व्यवसायिक एवं उच्च शिक्षा तथा कौशल विकास प्रशिक्षण (14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को) उपलब्ध कराया जायेगा।
7. पोषक माता/पिता अथवा उपयुक्त सुविधा द्वारा पोष्य बच्चे की देखरेख अथवा उसके जैविक माता/पिता/रिश्तेदार से मिलने के संबंध में संबंधित बाल कल्याण समिति द्वारा जारी आदेश की पालना सुनिश्चित करेंगे।

8. पालन–पोषण देखरेख के तहत् नवीनीकरण एवं निरस्तीकरण प्रक्रिया ::

1. पालन पोषण देखरेख उपलब्ध कराने वाले परिवार अथवा उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता पालन–पोषण देखरेख अनुबंध की समयावधि में वृद्धि/नवीनीकरण कराने अथवा निरस्तीकरण के संबंध में 1 माह पूर्व संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति को सूचित करेंगे।
2. बाल कल्याण समिति द्वारा अनुबंध की समावधि में वृद्धि पूर्व जिला बाल संरक्षण इकाई की रिपोर्ट एवं पोष्य बच्चे के परिवार के साथ संबंध एवं उसकी वर्तमान स्थिति के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार एवं स्वयं के स्तर पर की गई जांच को ध्यान में रखते हुये बच्चे के सर्वोत्तम हित में निर्णय लिया जायेगा।
3. बाल कल्याण समिति द्वारा पालन–पोषण देखरेख के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण अधिकतम 15 दिन के अंदर किया जायेगा।
4. यदि पालन पोषण देखरेख उपलब्ध कराने वाले परिवार अथवा उपयुक्त सुविधा द्वारा पालन–पोषण देखरेख अनुबंध की समावधि में नवीनीकरण कराये बिना पोष्य बच्चे को अपने साथ रखते हैं, तो बाल कल्याण समिति द्वारा उसे गैर–कानूनी मानते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
5. बाल कल्याण समिति को पोष्य बच्चे के हित में पालन पोषण देखरेख उपलब्ध कराने वाले परिवार अथवा उपयुक्त सुविधा के साथ किए गए अनुबंध को किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार होगा।
6. पालन पोषण देखरेख को निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त किया जा सकेगा–

   (अ) बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पालन पोषण देखरेख को समाप्त माना जायेगा तथा बच्चे के पास पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम का उपयोग करने का विकल्प होगा।

   (ब) ऐसे बच्चे जिन्हें उनके माता/पिता के जेल में बन्द होने या किसी मानसिक बीमारी के कारण उपचाराधीन होने के कारण पालन पोषण देखरेख में रखा गया था, के जैविक माता–पिता के जेल छूट जाने/स्वस्थ होने के पश्चात–बाल कल्याण समिति से बच्चों को अपने पास रखने हेतु अनुरोध किया गया है, तथा समिति बच्चे को उसके जैविक माता–पिता से पुर्नमिलन को उपयुक्त मानती है, तो समिति द्वारा बच्चे के संबंध में उपयुक्त आदेश पारित किया जा सकेगा।

Scanned with CamScanner

(स) 6 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के विधिक रूप से स्वतंत्र बच्चे, जिन्हें पालन पोषण देखरेख में स्थापन के दौरान उपयुक्त दत्तक परिवार मिल जाता है, तो बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे की सहमति प्राप्त करने के पश्चात उसकी पालन पोषण देखरेख समाप्त कर सकती है तथा उसे दत्तक ग्रहण हेतु पुनः विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी में भेजा जायेगा।

7. पालन पोषण करने वाले माता–पिता की मृत्यु, तलाक या अलग होने की स्थिति में बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे को किसी अन्य पालन पोषण करने वाले परिवार अथवा उपयुक्त सुविधा में स्थापन किये जाने तक बच्चे को वापस बाल देखरेख संस्थान में आवासित किया जा सकेगा।

9. पालन–पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) कार्यक्रम के निरीक्षण/पर्यवेक्षण/निगरानी ::

1. बाल कल्याण समिति द्वारा प्रारूप 35 के अनुसार पालन पोषण करने वाले परिवार एवं सामूहिक पालन पोषण देखरेख का मासिक निरीक्षण किया जायेगा।
2. पोष्य बच्चे के अन्य जिले/राज्य में निवासरत होने की स्थिति में उनकी निगरानी/पर्यवेक्षण में संबंधित जिले की जिला बाल संरक्षण इकाई का सहयोग लिया जा सकेगा।
3. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण देखरेख के संबंध में निम्नानुसार रिकॉर्ड संधारण किया जायेगाः–
   (अ) पालन–पोषण देखरेख हेतु बाल कल्याण समिति से अनुमोदित बच्चों का रजिस्ट्रर।
   (ब) भावी पोषक माता/पिता का रजिस्टर।
   (स) उपयुक्त सुविधा के संचालन संबंधी पत्रावली
   (द) प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत पत्रावली मय संबंधित दस्तावेज/पत्राचार।
   (य) प्रारूप 34 के अनुसार रिकॉर्ड संधारण।
   (र) निरीक्षण पत्रावली।
4. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पोषक माता–पिता की आर्थिक/सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जायेगा।
5. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा जिले में उक्त कार्यक्रम के बारे में प्रचार–प्रसार, पोषक माता/पिता के प्रशिक्षण/आमुखीकरण, प्रोत्साहन तथा इस कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु अनुभवी स्वंयसेवी संस्थाओं की सहायता ली जा सकेगी।
6. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा इस कार्यक्रम के तहत् लाभान्वितों का विवरण त्रैमासिक स्तर पर राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटक्शन सोसायटी/बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान को प्रेषित किया जायेगा।

10. अनुवर्तन/संचालन/समीक्षा ::

1. इन दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी एवं जिला स्तर जिला बाल संरक्षण इकाई क्रियान्वयक अभिकरण के रूप में कार्य करेंगे।
2. पालन–पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं पोषक माता/पिता, पोष्य बच्चों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुभवी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ अनुबंध हस्ताक्षर कर सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा।

Scanned with CamScanner

3. अधिकृत स्वयंसेवी संस्था पोषक माता/पिता के पोष्य बच्चे के साथ सामंजस्य एवं बच्चे की समस्याओं के समाधान, आवश्यक काउंसलिंग, प्रचार–प्रसार, पोषक माता/पिता के प्रशिक्षण/आमुखीकरण के लिए सहयोग उपलब्ध करायेगी।
4. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा त्रैमासिक स्तर पर संबंधित हितधारकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी।
5. अनुदान स्वीकृति, प्रशासनिक एवं अन्य कार्य सम्पादन हेतु राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी/आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान तथा जिला स्तर पर सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई सक्षम होंगे।
6. राज्य सरकार के निर्देशों पर राजस्थान पालन–पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) दिशा–निर्देश, 2020 के अन्तर्गत (यदि कोई हो) निर्धारित प्रक्रियाओं/अभिलेख/जांच/निरीक्षण प्रतिवेदन, अनुवन्ध पत्र, शर्तों आदि में समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।
7. राजस्थान पालन–पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) दिशा–निर्देश, 2020 के निर्वचन, विवेचन एवं संशोधन की शक्तियां राज्य सरकार में निहित होगी।
8. राजस्थान पालन–पोषण देखभाल (फोस्टर केयर) नियम, 2014 को इस आदेश के जरिये विलोपित किया जाता है।

यह आदेश वित्त विभाग, राजस्थान की आई.डी. संख्या 162000805 दिनांक 26.10.2020 के अनुसरण में जारी किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

18/11/2020

(महेश चन्द्र शर्मा)
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव
एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

क्रमांकः एफ 23(1)(1) फोस्टर केयर/बा.अ.वि./2012/ 80605-81184 जयपुर, दिनांकः 19-11-2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान एवं अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, राजस्थान।
3. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. उप सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज. जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई।
6. समस्त प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट/सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड।
7. समस्त अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति।
8. समस्त सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग।

Scanned with CamScanner

9. समस्त अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह/विशेष गृह/सुरक्षित अभिरक्षा/किशोर गृह/बालिका गृह/शिशु गृह।
10. समस्त अधीक्षक/प्रभारी, गैर राजकीय बाल गृह/बालिका गृह/खुला आश्रय।
11. रक्षित पत्रावली।

19-11-2020

उप निदेशक, सारा

Scanned with CamScanner